

चेक लिस्ट क्रं.सं. 26

यनाधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक)

फार्म "क"

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिये)

1	परियोजना विवरण :-														
(i)	अपेक्षित वन भूमि के लिये प्रस्ताव/ परियोजना/ स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग कोरबा द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130A के सेक्शन उरगा-पथलगांव (कि.मी. 70.200 से 157.745 कि.मी.) भारतमाला परियोजना के अंतर्गत कोरबा वनमण्डल के अंतर्गत कोरबा, कुदमुरा एवं करतला परिक्षेत्र में वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु रकबा-77.3042 हेक्टेयर प्रस्तावित है।													
(ii)	1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	संलग्न है।													
(iii)	परियोजना की लागत।	रु. 226130 लाख													
(iv)	वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	उरगा -पथलगांव मार्ग 1980 के पूर्व का मार्ग है। आम लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने हेतु उक्त मार्ग का चौड़ीकरण प्रस्तावित है। यह एक जनकल्याणकारी योजना है। उक्त प्रस्तावित मार्ग में अन्य विकल्पों की अपेक्षा वन भूमि न्यूनतम प्रभावित हो रही हैं इस परियोजना में समस्त पहलुओं को जांचने के उपरांत यह निष्कर्ष निकला की वन भूमि के उपयोग को नाकारा नहीं जा सकता।													
(v)	लागत लाभ विश्लेषण	लागत लाभ विश्लेषण संलग्न है।													
(vi)	रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	1365000 मानव दिवस													
2.	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण।	<table> <tr> <th>वनमंडल</th><th>प्रस्तावित वनभूमि</th><th>रकबा (हे.में)</th></tr> <tr> <td rowspan="3">कोरबा</td><td>संरक्षित वन</td><td>34.8211</td></tr> <tr> <td>आरेंज वन</td><td>34.2841</td></tr> <tr> <td>राजस्व वन</td><td>8.1990</td></tr> <tr> <td>योग :-</td><td></td><td>77.3042</td></tr> </table>	वनमंडल	प्रस्तावित वनभूमि	रकबा (हे.में)	कोरबा	संरक्षित वन	34.8211	आरेंज वन	34.2841	राजस्व वन	8.1990	योग :-		77.3042
वनमंडल	प्रस्तावित वनभूमि	रकबा (हे.में)													
कोरबा	संरक्षित वन	34.8211													
	आरेंज वन	34.2841													
	राजस्व वन	8.1990													
योग :-		77.3042													
3.	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है।														
(i)	परिवारों की संख्या	नहीं													
(ii)	अनुसूचित जाति/जनजाति परिवारों की संख्या	नहीं													
(iii)	पुनर्वास योजना (संलग्न किए जाने के परिवारों की संख्या)	आवश्यकता नहीं है।													
4	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत मंजूरी आवश्यक है ? (हां/नहीं)	हाँ, छाया प्रति संलग्न हैं।													

5	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/या दण्डस्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाए)	वचन पत्र संलग्न है।
6	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा।	संलग्न है।

दिनांक :- 12/5/2023

स्थान :- कोरबा


 परियोजना निदेशक,
 परियोजना क्रियान्वयन इकाई
 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, कोरबा

**वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)**

भाग-2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या :- **FP/CG/ROAD/122482/2021**

7.	परियोजना/स्कीम का स्थान	परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग कोरबा द्वारा उरगा-पथलगाँव मार्ग का चार लेन चौड़ीकरण एवं निर्माण कार्य हेतु कोरबा वनमण्डल के वन परिक्षेत्र कोरबा, करतला एवं कुदमुरा के अंतर्गत रकबा 77.3042 हे. प्रस्तावित है।
I	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ़
II	जिला	कोरबा
III	वन प्रभाग	कोरबा
IV	वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र है	77.3042 हे.
V	वन की कानूनी स्थिति	संरक्षित, नारंगी एवं राजस्व वन भूमि
VI	हरियाली का घनत्व	0.4 से 0.7 एवं इको क्लास-I
VII	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ.आर.एल., एफ.एफ.आर.एल.-2 मी. परिगणना और एफ.आर.एल. 4 मी. भी संलग्न किये जाए।	प्रजातिवार वृक्षों का स्थानीय एवं वैज्ञानिक नाम की सूची एवं परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना संलग्न है।
VIII	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशील पर संक्षिप्त टिप्पणी	वन क्षेत्र प्रत्यावर्तित होने से शेष वन भूमि पर किसी भी प्रकार का भू-क्षरण संबंधी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रस्तावित क्षेत्र महत्वपूर्ण या गम्भीर रूप से क्षरित क्षेत्र का हिस्सा नहीं है।
IX	वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी.	वनेतर भूमि वन सीमा के अंदर है।
X	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैव मंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी, कोरीडोर, आदि का भाग है (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वर्ल्डन की टिप्पणियाँ अनुबंधित की जाए)	प्रस्तावित वन क्षेत्र किसी भी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैव मंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी, कोरीडोर, आदि का भाग नहीं है।
XI	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है, यदि हाँ/तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	इस क्षेत्र में दहिमन, बीजा, सलई आदि वनस्पति एवं तेन्दूआ, पैंगोलिन, वन बिलाव, चितल, किंग कोबरा आदि प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है।
XII	क्या कोई सुरक्षित पुरात्तवीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से	कोई भी सुरक्षित पुरात्तवीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक प्रस्तावित वन क्षेत्र में स्थित नहीं है। वचन पत्र संलग्न हैं।
8.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो, जाँचे गये विकल्पों के ब्यौरो सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है। प्रयोक्ता अभिकरण का प्रमाण पत्र एवं जाँचे गये तुलनात्मक विवरण ब्यौरा संलग्न हैं।

9.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दे, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहे हैं।	अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य नहीं किया गया है।
10.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	
I	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वनक्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी भूखण्डों की संख्या प्रत्येक भूखण्ड का आकार।	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण वनमण्डल बलौदा बाजार में प्रस्तावित है।
II	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर/ अवक्रमित वन क्षेत्र और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण वनमण्डल बलौदा बाजार में प्रस्तावित है।
III	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि।	लागु नहीं।
IV	प्रतिपूरक वनीकरण रकीग के लिये कुल वित्तीय परिव्यय।	लागु नहीं।
V	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाए)	लागु नहीं।
11.	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 (11,12) 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है।
12.	विभाग/जिला प्रोफाइल	
I	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	2820 वर्ग कि.मी.
II	जिले का वनक्षेत्र	2136.47 वर्ग कि.मी.
III	मामलो की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वने क्षेत्र।	संख्या - 19, रकबा - 1099.452 हे.
	(क) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	
	(ख) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वनभूमि।	2779.096 हेक्टेयर
	(ग) वनेत्तर भूमि पर।	20 हेक्टेयर
IV	2015-2016 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति :-	
	क. वनभूमि पर	2779.096 हेक्टेयर
	ख. वनेत्तर भूमि पर	20 हेक्टेयर
13.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	Recommended

दिनांक : 27/7/23
स्थान : कोरबा

अरविंद पी.एम., भा.व.से.
वनमंडलाधिकारी
कोरबा वनमण्डल कोरबा

प्रपत्र-3

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव
पर वन संरक्षक/वनमण्डलाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

1	परियोजना का नाम	उरगा-पत्थलगौंव मार्ग का चार लेन चौड़ीकरण एवं निर्माण कार्य हेतु कोरबा वनमण्डल रकबा 77.3042 हे.			
2	आवेदक /आवेदक विभाग का नाम	परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग कोरबा			
3	गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वन भूमि की मांग	उरगा-पत्थलगौंव मार्ग का चार लेन चौड़ीकरण एवं निर्माण कार्य			
4	आवेदित क्षेत्र की स्थिति	जिला	वनमण्डल	कार्य स्थल	
		कोरबा	कोरबा		
5	वन भूमि का विस्तृत विवरण				
	क. आरक्षित वन	निरंक		निरंक	निरंक
	ख. सीमांकित संरक्षित वन	परिक्षेत्र	कक्ष कमांक	आवेदित रकबा (हे. में)	साईट क्वालिटी
	ग. आरंज वन भूमि	कोरबा	ओ.ए. 1302	0.5863	IVb
	घ. राजस्व वनभूमि		ओ.ए. 1303	1.8603	IVb
			ओ.ए. 1304	3.3685	III
			ओ.ए. 1305	6.0538	IVa
			राजस्व वनभूमि	2.2421	-
		करतला	पी 1014	8.1761	IVb
			पी 1034	7.7399	IVb
			पी 995	3.1250	IVb
			ओ.ए. 1451	4.1467	IVb
			ओ.ए. 1456	3.2064	IVa
			राजस्व वनभूमि	4.4169	-
		कुदमुरा	पी 1141	0.8631	IVb
			पी 1138	6.4573	IVb
			पी 1133	8.4598	IVb
			ओ.ए. 1429	2.0374	Va
			ओ.ए. 1428	1.0289	IVb
			ओ.ए. 1422	1.5933	Va
			ओ.ए. 1417	2.6478	Va
			ओ.ए. 1418	7.7545	IVb
			राजस्व वनभूमि	1.5401	-
			योग	77.3042	
6	आवेदित वन क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार	मध्यम			
7	आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण	साल, साजा, बीजा, खम्हार एवं मिश्रित प्रजाति के कुल 11276 गग वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं, सूची संलग्न है।			

8	आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति	न्यूनतम है।
9	आवेदित क्षेत्र की (विशेष कर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी.डब्ल्यू.डी./वनमार्ग आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें)	प्रत्यावर्तित स्थल आवेदित क्षेत्र से लगा हुआ है।
10	क्या आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, बायो स्फेयर रिजर्व, प्राकृतिक झील/वाटर बॉडी, आदिवासी सेटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक स्थल) की सीमा के 5 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत है अथवा नहीं? यदि हां तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदित करें।	नहीं
11	आवेदित वनक्षेत्र के अलावा अन्य गैर वन क्षेत्र विकल्प के रूप में प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेष कर खनिज उत्खनन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में गैर वनक्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष / भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या बतावें एवं उसे मानचित्र पर भी दर्शाया जावे।)	आवेदित वनक्षेत्र न्यूनतम एवं अपरिहार्य है।
12	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नहीं? यदि हां तो संक्षिप्त विवरण दें।	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 का किसी प्रकार का उल्लंघन नहीं किया गया है।

प्रमाण पत्र

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा किए गये भौतिक निरीक्षण के आधार पर है। आवेदक द्वारा मांग की गई वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण स्थल - ग्राम कोटमेर, करतला एवं चचिया

दिनांक - 20.05.2023

वनमण्डलाधिकारी
कोरबा वनमण्डल कोरबा

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग- 3

(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14. स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई है। क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है। (हाँ/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रक्षेपों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

.....

15. क्या संबंधित वन संरक्षक भाग (ख) में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

.....

16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

.....

...

दिनांक :-

स्थान :-

हस्ताक्षर

नाम

सरकारी मोहर

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग- 4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17. टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

दिनांक :-

स्थान :-

हस्ताक्षर

नाम और पदनाम

सरकारी मोहर

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग- 5

(इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।)

18. राज्य सरकार की सिफारिश।

(उपयुक्त भाग (ख) या भाग (ग) या भाग (घ) में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाए)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

दिनांक :-

स्थान :-

हस्ताक्षर

नाम और पदनाम

सरकारी मोहर